

**No. 49947\***

---

**Republic of Korea  
and  
India**

**Agreement between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of India concerning cooperation and mutual assistance in customs matters. Seoul, 7 February 2006**

**Entry into force:** *27 April 2006, in accordance with article 17*

**Authentic texts:** *English, Hindi and Korean*

**Registration with the Secretariat of the United Nations:** *Republic of Korea, 6 July 2012*

\* *No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

---

**République de Corée  
et  
Inde**

**Accord entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la coopération et à l'assistance mutuelle en matière douanière. Séoul, 7 février 2006**

**Entrée en vigueur :** *27 avril 2006, conformément à l'article 17*

**Textes authentiques :** *anglais, hindi et coréen*

**Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :** *République de Corée, 6 juillet 2012*

\* *Numéro de volume RTNU n'a pas encore été établie pour ce dossier. Les textes reproduits ci-dessous, s'ils sont disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour l'enregistrement et publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Les traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

**AGREEMENT BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA  
CONCERNING COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE  
IN CUSTOMS MATTERS**

The Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"),

Considering that offences against customs law are prejudicial to their economic, fiscal, social, cultural and commercial interests;

Considering the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibition, restriction and control;

Recognizing the need for international co-operation in matters related to the application and enforcement of their customs laws;

Convinced that prevention of customs offences can be made more effective by close co-operation between their Customs Administrations based on relevant domestic laws and international law;

Having regard to the relevant instruments of the Customs Co-operation Council, in particular the Recommendation on Mutual Administrative Assistance of 5 December, 1953; and

Having regard also to International Conventions to which the Contracting Parties are members containing prohibitions, restrictions and special measures of control in respect of specific goods;

Have agreed as follows:

**Article 1**  
**DEFINITIONS**

For the purposes of this Agreement:

- (a) the term "Customs Administration" shall mean the Korea Customs Service for the Government of the Republic of Korea and the Central Board of Excise and Customs in the Department of Revenue, Ministry of Finance for the Government of the Republic of India;

- (b) the term "customs law" shall mean the statutory and the regulatory provisions concerning the importation and exportation of goods, the administration and enforcement of which are specifically charged to the customs;
- (c) the term "customs offence" shall mean any breach or attempted breach of customs law;
- (d) the term "person" shall mean either a physical human being or a legal entity;
- (e) the term "personal data" shall mean data concerning an identified or identifiable physical human being;
- (f) the term "information" shall mean any data, documents, reports, certified or authenticated copies thereof or other communications;
- (g) the term "intelligence" shall mean information which has been processed and/or analysed to provide an indication relating to customs offences;
- (h) the term "requesting administration" shall mean the Customs Administration which requests assistance;
- (i) the term "requested administration" shall mean the Customs Administration from which assistance is requested.

## **Article 2**

### **SCOPE OF THE AGREEMENT**

1. The Contracting Parties shall, through their respective Customs Administrations, accord each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of customs law and for the prevention, investigation and suppression of customs offences.
2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordance with its national legal and administrative provisions and within the limits of its Customs Administration's competence and available resources.

## **Article 3**

### **ASSISTANCE IN GENERAL**

1. The Customs Administrations of the respective Contracting Parties shall provide each other, on their own initiative or upon request, and in accordance with the provisions of this Agreement, available information on the goods imported into or exported from the territory of the requested Customs Administration which may help the requesting Customs Administration to:

- (a) determine the correct description of the said goods and their tariff classification and origin;
  - (b) assess the value of the said goods for Customs purpose; and
  - (c) determine the authenticity of any official document produced in support of goods declaration lodged with the requesting Administration.
2. On request, the requested administration shall provide all information about the customs law and procedures, applicable in that Contracting Party and relevant to inquiries relating to customs offence.
3. The Customs Administrations of the respective Contracting Parties shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:
  - (a) new customs law enforcement techniques having proved their effectiveness; and
  - (b) new trends, means or methods in committing customs offences.

#### **Article 4**

#### **SPECIAL INSTANCES OF ASSISTANCE**

On request, the requested administration shall, in particular, provide the requesting administration with the following information:

- (a) whether goods which are imported into the customs territory of the requesting Contracting Party have been lawfully exported from the customs territory of the requested Contracting Party; and
- (b) whether goods which are exported from the customs territory of the requesting Contracting Party have been lawfully imported into the customs territory of the requested Contracting Party and about the customs procedure, if any, under which the goods have been placed.

#### **Article 5**

#### **SUPPLY OF INFORMATION AND INTELLIGENCE**

1. The Customs Administrations of the respective Contracting Parties shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and intelligence on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence.

2. In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply information and intelligence on its own initiative.

### **Article 6** **SPECIAL SURVEILLANCE**

On request, the requested administration shall provide information and intelligence on, and maintain special surveillance over:

- (a) persons known to the requesting administration to have committed a customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the customs territory of the requested Contracting Party;
- (b) goods either in transport or in storage notified by the requesting administration as giving rise to suspected illicit traffic towards the customs territory of the requesting Contracting Party;
- (c) means of transport suspected by the requesting administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party; and
- (d) premises suspected by the requesting administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party.

### **Article 7** **TECHNICAL CO-OPERATION**

The Customs Administrations of the Contracting Parties shall co-operate with each other in the area of customs matters including;

- (a) exchange of customs officers or experts when mutually beneficial for the purpose of advancing the understanding of each other's customs techniques;
- (b) exchange of information and experience in the usage of the interdiction and detection equipment;
- (c) exchange of professional, scientific and technical data relating to customs legislation and procedure;
- (d) exchange of information on actions undertaken with third countries in relation to technical cooperation, with the aim of improving these actions; and

- (e) exchange of information to co-operate in the simplification and harmonization of their customs procedures.

#### **Article 8**

#### **FILES AND DOCUMENTS**

1. Original information shall only be requested in cases where certified or authenticated copies would be insufficient, and shall be returned as soon as possible; rights of the requested administration or of third parties relating thereto shall remain unaffected.
2. Any information and intelligence to be exchanged under this Agreement shall be accompanied by all relevant information for interpreting or utilizing it.

#### **Article 9**

#### **EXPERTS AND WITNESSES**

The Customs Administration of one Contracting Party, upon request, may authorize their officials in accordance with their domestic laws to appear before a court or tribunal in the other Contracting Party as experts or witnesses in the matter of customs offences.

#### **Article 10**

#### **COMMUNICATION OF REQUESTS**

1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations of the respective Contracting Parties.
2. If the assistance sought by the requesting contracting party involves furnishing of evidence relating to criminal proceedings, it shall, notwithstanding paragraph 1 of this Article, be provided subject to the domestic laws of the requested contracting party and/or, if any, in compliance with the provisions of the treaty on mutual legal assistance in criminal matters concluded between the two contracting parties.
3. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing and shall be accompanied by any documents deemed useful. When the circumstances so require, requests may also be made verbally. Such requests shall be promptly confirmed in writing.

4. Requests made pursuant to paragraph 3 of this Article, shall include the following details:

- (a) the administration making the request;
- (b) subject of and reason for the request;
- (c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding; and
- (d) the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.

5. The information and intelligence referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials so designated shall be furnished to the Customs Administration of the other Contracting Party in accordance with paragraph 1 of Article 15 of this Agreement.

#### **Article 11** **EXECUTION OF REQUESTS**

1. If the requested administration does not have the information requested, it shall in accordance with its national legal and administrative provisions of paragraph 2 of Article 10 of this Agreement, either:

- (a) initiate inquiries to obtain that information; or
- (b) promptly transmit the request to the appropriate agency; or
- (c) indicate which relevant authorities are concerned.

2. Any inquiry under paragraph 1 of this Article may include the taking of statements from persons from whom information is sought in connection with customs offence and from witnesses and experts.

3. On written request, officials specially designated by the requesting administration may, with the authorization of the requested administration and subject to conditions the latter may impose, for the purpose of investigating customs offence:

- (a) consult in the offices of the requested administration the documents, registers and other relevant data to extract any information in respect of that customs offence;
- (b) take copies of the documents, registers and other data relevant in respect of that customs offence; and



- (c) be present during an enquiry conducted by requested administration in the customs territory of the requested Contracting Party and relevant to the requesting administration.

4. When officials of the requesting administration are present in the territory of the other Contracting Party in the circumstances provided for in the paragraph 3 of this Article, they shall at all times be able to furnish proof of their official capacity.

#### **Article 12**

#### **CONFIDENTIALITY OF INFORMATION**

1. Any information or intelligence received within the framework of administrative assistance under this Agreement shall be used solely for the purposes of this Agreement and by the Customs Administrations except in cases in which the Customs Administration furnishing such information has expressly approved its use for other purposes or by other authorities.

2. Any information or intelligence received under this Agreement shall be treated as confidential and shall be subject at least to the same protection and confidentiality as the same kind of information or intelligence is subject to under the national law of the Contracting Party by whom it is received.

3. Where personal data are exchanged under this Agreement, the Customs Administration shall ensure that these are used only for the purposes indicated and according to any condition the requested administration may impose.

#### **Article 13**

#### **EXEMPTIONS**

- 1. Assistance may be refused, in whole or in part, by the requested Contracting Party if:
  - (a) the requested Contracting Party is of the opinion that execution of the request would prejudice its sovereignty, security, public order or other substantive national interests; or
  - (b) the requested Contracting Party is of the opinion that the requests relate to the violation of an industrial, commercial or professional secret in the territory of that Contracting Party.

2. If the requesting administration would be unable to comply with a similar request to be made by the requested administration, the requesting administration shall indicate that the fact in its request. Compliance with such a request shall be at the discretion of the requested administration.
3. Assistance may be postponed by the requested administration on the ground that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceedings. In such a case the requested administration shall consult with the requesting administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested administration may require.
4. Where assistance is refused or postponed, reasons for the refusal or postponement shall be given.

#### **Article 14 COSTS**

1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to experts and to witnesses as well as costs of translators and interpreters other than government employees, which shall be borne by the requesting administration.
2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

#### **Article 15 IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT**

1. The Customs Administrations shall take measures so that their officials responsible for the investigation or combating of customs offences maintain direct relations with each other.
2. The Customs Administrations may decide on detailed arrangements to facilitate the implementation of this Agreement.

3. The Customs Administrations shall endeavor to resolve by mutual accord any problem or doubt arising from the interpretation or application of this Agreement.
4. Any matter of interpretation for which no solutions can be found shall be settled through diplomatic channels.

**Article 16**  
**TERRITORIAL APPLICATION**

This Agreement shall apply to the customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legal and administrative provisions.



**Article 17**  
**ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION**

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the Contracting Parties have notified each other in writing through diplomatic channels that all the necessary domestic legal requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.
2. This Agreement may be revised by mutual consent.
3. This Agreement shall be effective for a period of five years and shall remain in force thereafter for subsequent periods of five years unless either Contracting Party notified the other Contracting Party in writing six months in advance of its intention to terminate the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Seoul on this 7<sup>th</sup> day of February 2006, in the Korean, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF KOREA



FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDIA

[ HINDI TEXT – TEXTE HINDI ]

सीमा शुल्क मामलों में सहयोग  
और  
पारस्परिक सहायता के संबन्ध में  
कोरिया गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार  
के बीच करार

कोरिया गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसमें इसके बाद "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है),

इस बात पर विचार करते हुए कि सीमा शुल्क कानून के विरुद्ध अपराध उनके आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक हितों के लिए हानिकर हैं;

सीमा शुल्क ङ्घुटियों तथा आयात अथवा निर्यात पर एकत्रित अन्य करों के सही-सही मूल्यांकन के महत्व पर विचार करते हुए और निषेध, प्रतिबंध और नियंत्रण के उपायों के समुचित प्रवर्तन को सुनिश्चित करते हुए;

अपने सीमा शुल्क कानूनों को लागू करने और उनके प्रवर्तन से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आवश्यक मानते हुए;

इस बात को समझते हुए कि सीमाशुल्क अपराधों की रोकथाम संबद्ध घेरलू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित उनके सीमाशुल्क प्रशासनों के बीच गहन सहयोग द्वारा अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकती है;

सीमा शुल्क सहयोग परिषद के संबंधित दस्तावेजों, विशेष रूप से, पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर 5 दिसंबर, 1953 की सिफारिश के प्रति सम्मान रखते हुए;

जिनमें निषेध, प्रतिबंध और विशेष पण्यों के संबंध में नियंत्रण के उपाय सन्निहित हैं और संविदाकारी पक्ष जिनके पक्षकार हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों का सम्मान करते हुए,

निम्नानुसार सहमत हुई हैं :

**अनुच्छेद - एक**  
**परिभाषाएं**

इस करार के उद्देश्य से :

(क) "सीमाशुल्क प्रशासन" शब्द से अभिप्राय है, कोरिया गणराज्य की सरकार के लिए कोरिया सीमाशुल्क सेवा और भारत गणराज्य की सरकार के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय;

(ख) "सीमाशुल्क कानून" शब्द से अभिप्राय है, पण्यों के आयात-निर्यात से संबंधित सांविधिक और विनियमन प्रावधान, जिनका प्रशासन और प्रवर्तन विशेषरूप से सीमाशुल्क के लिए किया जाता है;

(ग) "सीमाशुल्क अपराध" से अभिप्राय होगा - सीमाशुल्क कानून का उल्लंघन अथवा उल्लंघन का प्रयास;

(घ) शब्द "व्यक्ति" से अभिप्राय होगा - कोई मानव अथवा कोई वैध सत्ता;

(ङ) शब्द "वैयक्तिक डाटा" से अभिप्राय होगा - पहचाने गए अथवा पहचानने योग्य किसी व्यक्ति का डाटा;

(च) शब्द "सूचना" से अभिप्राय होगा - कोई डाटा, दस्तावेज, रिपोर्ट, उसकी प्रमाणित अथवा अधिप्रमाणित प्रतियां अथवा अन्य पत्राचार.

(छ) शब्द "आसूचना" से अभिप्राय होगा - सूचना जो संसाधित और/अथवा विश्लेषित हो ताकि सीमाशुल्क अपराधों से संबंधित संकेत उपलब्ध कराया जा सके;

(ज) शब्द "अनुरोधकर्ता प्रशासन" से अभिप्राय होगा - वह सीमाशुल्क प्रशासन जो सहायता के लिए अनुरोध करता है;

(झ) शब्द "प्रार्थित प्रशासन" से अभिप्राय होगा - वह सीमा शुल्क प्रशासन जिससे सहायता मांगी जाती है ।

#### अनुच्छेद - दो करार का क्षेत्र

1. सीमाशुल्क कानून को उपयुक्त ढंग से लागू करने और सीमाशुल्क अपराधों की रोकथाम, जांच और उनके दमन के लिए दोनों संविदाकारी पक्ष एक दूसरे को अपने-अपने सीमाशुल्क प्रशासनों के जरिए, इस करार में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत प्रशासनिक सहायता प्रदान करेंगे ।

2. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष द्वारा इस करार के अंतर्गत समस्त सहायता अपने राष्ट्रीय कानूनी एवं प्रशासनिक प्रावधानों के अनुसार और अपने सीमाशुल्क प्रशासन की सक्षमता की सीमाओं और उपलब्ध संसाधनों के भीतर निष्पादित की जाएगी ।

#### अनुच्छेद - तीन सामान्य सहायता

1. दोनों में से प्रत्येक संविदाकारी पक्ष का सीमाशुल्क प्रशासन उनकी अपनी पहल पर अथवा अनुरोध पर, और इस करार के प्रावधानों के अनुसार, प्रार्थित सीमाशुल्क प्रशासन के भू-प्रदेश में आयातित अथवा वहाँ से निर्यातित पण्यों पर उपलब्ध वह सूचना एक-दूसरे को मुहैया कराएगा जो अनुरोधकर्ता सीमाशुल्क प्रशासन को सहायता प्रदान कर सकती है :

(क) उक्त सामानों और उनके टैरिफ वर्गीकरण और स्रोत के सही-सही विवरण का निर्धारण करने में;

(ख) सीमाशुल्क के उद्देश्य से उक्त सामानों के मूल्य का आकलन करने में;

(ग) अनुरोधकर्ता प्रशासन के पास दर्ज सामानों की घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किसी आधिकारिक दस्तावेज की प्रामाणिकता का निर्धारण करने में ।

2. प्रार्थित प्रशासन, अनुरोध पर, उस संविदाकारी पक्ष में लागू और सीमाशुल्क अपराध से संबंधित जांच संबंधी सीमाशुल्क कानून और प्रक्रियाओं के बारे में समस्त सूचना उपलब्ध कराएगा ।

3. दोनों में से प्रत्येक संविदाकारी पक्ष का सीमा-शुल्क प्रशासन, या तो अनुरोध पर या फिर अपनी पहल पर, निम्नलिखित से संबंधित कोई भी उपलब्ध सूचना संप्रेषित करेगा :

(क) सीमाशुल्क कानून प्रवर्तन की नई तकनीकें जो अपनी प्रभावकारिता सिद्ध कर चुकी हों;

(ख) सीमाशुल्क अपराध करने की नई प्रवृत्तियां, नए साधन अथवा नई पद्धतियां ।

**अनुच्छेद - चार**  
**सहायता के विशेष अनुरोध**

प्रार्थित प्रशासन, अनुरोधकर्ता प्रशासन को अनुरोध पर, विशेष रूप से निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएगा;

- (क) वे सामान, जो अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष के सीमाशुल्क भू-प्रदेश में आयात किए गए हैं, प्रार्थित संविदाकारी पक्ष के सीमाशुल्क भू-प्रदेश से कानून के अनुसार निर्यात किए गए हैं; और
- (ख) वे सामान, जो अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष के भू-प्रदेश से निर्यात किए गए हैं, प्रार्थित संविदाकारी पक्ष के भू-प्रदेश में कानून के अनुसार आयात किए गए हैं और सीमाशुल्क प्रक्रियाओं, यदि कोई हों, जिनके अंतर्गत उन सामानों को रखा गया है ।

**अनुच्छेद - पांच**  
**सूचना एवं आसूचना की आपूर्ति**

1. दोनों में से प्रत्येक संविदाकारी पक्ष का सीमाशुल्क प्रशासन, एक-दूसरे को, या तो अनुरोध पर या फिर उनकी अपनी पहल पर, उन पूर्ण कर लिए गए अथवा आयोजित आदान-प्रदानों के बारे में सूचना और आसूचना मुहैया कराएगा जो सीमाशुल्क अपराध बनते हैं अथवा सीमाशुल्क अपराध होने जैसे लगते हैं ।

2. ऐसे गंभीर मामलों में जो एक संविदाकारी पक्ष की अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा अथवा अन्य किसी महत्वपूर्ण हित को भारी क्षति पहुंचा सकते हैं, दूसरे संविदाकारी पक्ष का प्रशासन अपनी स्वयं की पहल पर, जहां भी संभव हो सूचना और आसूचना की आपूर्ति करेगा ।

**अनुच्छेद - छह**  
**विशेष निगरानी**

प्रार्थित प्रशासन, अनुरोध पर निम्नलिखित के संबंध में सूचना और आसूचना उपलब्ध कराएगा और इन पर निगरानी रखेगा :

- (क) व्यक्ति जिनके संबंध में अनुरोधकर्ता प्रशासन को यह जानकारी है कि उन्होंने सीमाशुल्क अपराध किया है अथवा उन पर वैसा करने का संदेह है, विशेष रूप से वे व्यक्ति जो प्रार्थित संविदाकारी पक्ष के सीमाशुल्क भू-प्रदेश में आते-जाते हैं;
- (ख) चाहे परिवहन में या फिर भंडारण में ऐसे सामान जिन्हें अनुरोधकर्ता प्रशासन द्वारा अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष के सीमाशुल्क भू-प्रदेश की और संदिग्ध अवैध व्यापार को बढ़ाने वाले पण्यों के रूप में अधिसूचित किया गया हो;
- (ग) परिवहन के वे साधन, जिन पर दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के सीमाशुल्क भू-प्रदेश में सीमाशुल्क अपराधों को अंजाम देने के लिए प्रयोग किए जाने का संदेह अनुरोधकर्ता प्रशासन द्वारा किया जाता हो;
- (घ) ऐसे परिसर, जिनपर अनुरोधकर्ता प्रशासन द्वारा दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के सीमाशुल्क भू-प्रदेश में सीमाशुल्क अपराधों को अंजाम देने के लिए प्रयोग किए जाने का संदेह किया जाता हो ।



**अनुच्छेद - सात  
तकनीकी सहयोग**

दोनों संविदाकारी पक्षों के सीमाशुल्क प्रशासन निम्नलिखित सहित अन्य सीमाशुल्क मामलों में एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे :

- (क) एक-दूसरे की सीमाशुल्क तकनीकों की समझबूझ बढ़ाने के उद्देश्य के लिए जब परस्पर लाभकारी हो, सीमाशुल्क अधिकारियों अथवा विशेषज्ञों का आदान-प्रदान;
- (ख) निषेध और संसूचन उपस्कर के उपयोग में सूचना और अनुभव का आदान-प्रदान
- (ग) सीमाशुल्क दण्डविधान और प्रक्रिया संबंधी व्यावसायिक, वैज्ञानिक, तकनीकी आंकड़ों का आदान-प्रदान;
- (घ) तकनीकी सहयोग के संबंध में अन्य देशों के साथ की गई कार्रवाइयों पर सूचना का आदान-प्रदान ताकि इन कार्रवाइयों में सुधार लाया जा सके;
- (ङ.) अपनी सीमाशुल्क कार्यवाहियों को सरल और संगत बनाने में सहयोग करने के लिए सूचना का आदान-प्रदान ।

**अनुच्छेद - आठ  
फाइलें और दस्तावेज**

1. जिन मामलों में प्रामाणित प्रतियां पर्याप्त नहीं होंगी केवल उनमें मूल सूचना प्रति के लिए अनुरोध किया जा सकता है और उसे यथाशीघ्र लौटा दिया जाएगा; प्रार्थित प्रशासन अथवा तीसरे पक्षों के उससे संबंधित अधिकार अप्रभावित बने रहेंगे ।
2. इस करार के अंतर्गत आदान-प्रदान की जाने वाली कोई सूचना और आसूचना इसकी व्याख्या करने और इसका उपयोग करने के लिए समस्त प्रासंगिक करने और इसका उपयोग करने के लिए समस्त प्रासंगिक सूचना के साथ दी जाएगी ।

**अनुच्छेद - नौ  
विशेषज्ञ और साक्षी**

एक संविदाकारी पक्ष का सीमाशुल्क प्रशासन, अनुरोध पर, अपने घरेलू कानून के अनुसार अपने अधिकारियों को सीमाशुल्क अपराधों के मामले में विशेषज्ञ अथवा साक्षी के रूप में दूसरे संविदाकारी पक्ष में किसी अदालत अथवा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए प्राधिकृत कर सकता है ।

**अनुच्छेद - दस  
अनुरोधों का संप्रेषण**

1. इस करार के अंतर्गत दोनों में से प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के सीमाशुल्क प्रशासनों के बीच सहायता का आदान-प्रदान सीधे किया जाएगा ।
2. यदि अनुरोधकर्ता संविदाकारी पक्ष द्वारा मांगी गई सहायता में आपराधिक मुकदमों से संबंधित साक्ष्य भेजना भी शामिल हो, तो ये इस अनुच्छेद के पैरा 1 के बावजूद, प्रार्थित संविदाकारी पक्ष के घरेलू कानून की शर्त पर और/अथवा, आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच संपन्न संधि, यदि कोई हो के अनुसरण में मुहैया कराई जाएगी ।

3. इस करार के अंतर्गत सहायता के लिए अनुरोध लिखित रूप से किया जाएगा और उन सब दस्तावेजों के साथ, जो जरूरी समझे जाएं। परिस्थितियों के अनुसार अनुरोध मौखिक रूप से भी किया जा सकता है। ऐसे अनुरोधों की शीघ्र ही लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी।

4. इस अनुच्छेद के पैरा तीन के अनुसरण में किए गए अनुरोधों में निम्नलिखित ब्यौरे शामिल होंगे :

- (क) अनुरोध करने वाला प्रशासन;
- (ख) अनुरोध का विषय और कारण;
- (ग) मामले का संक्षिप्त विवरण, कानूनी तत्व और मुकदमे की प्रकृति; और
- (घ) यदि ज्ञात हों, तो संबंधित पक्षों के नाम और पते।

5. इस करार में संदर्भित सूचना और आसूचना, दोनों में से प्रत्येक सीमाशुल्क प्रशासन द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेषरूप से नामित अधिकारियों को भेजी जाएगी। इस करार के अनुच्छेद पंद्रह के पैरा एक के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष के सीमाशुल्क प्रशासन को नामित अधिकारियों की एक सूची दी जाएगी।

#### **अनुच्छेद - ग्यारह अनुरोधों का क्रियान्वयन**

1. यदि प्रार्थित प्रशासन के पास मांगी गई सूचना नहीं है, तो यह इस करार के अनुच्छेद - दस के पैरा - दो के राष्ट्रीय कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों के अनुसार :

- (क) उस सूचना को प्राप्त करने के लिए जांच शुरू करेगा; अथवा
- (ख) अनुरोध को तुरंत उपयुक्त अभिकरण तक पहुंचाएगा;
- (ग) संबंधित प्राधिकरणों को सूचित करेगा।

2. इस अनुच्छेद के पैरा एक के अंतर्गत किसी भी जांच में उन लोगों, जिनसे सीमाशुल्क अपराध के संबंध में सूचना मांगी गई है और गवाहों तथा विशेषज्ञों के बयान लेना शामिल होगा।

3. लिखित अनुरोध पर, अनुरोधकर्ता प्रशासन द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी, प्रार्थित प्रशासन की अनुमति से और प्रार्थित प्रशासन द्वारा लगायी गयी शर्तों के अध्याधीन सीमाशुल्क अपराध की जांच के लिए :

- (क) प्रार्थित प्रशासन के कार्यालयों में उस सीमाशुल्क अपराध के बारे में कोई सूचना खोजने के लिए दस्तावेज, रजिस्टर तथा अन्य संबद्ध आंकड़ों को जांच कर सकते हैं;
- (ख) उस सीमाशुल्क अपराध से संबंधित दस्तावेजों, रजिस्ट्रों, और अन्य संबद्ध आंकड़ों की प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं; और
- (ग) प्रार्थित सांविदाकारी पक्ष के सीमाशुल्क भू-भाग में प्रार्थित प्रशासन द्वारा आयोजित जांच के दौरान उपस्थित रह सकते हैं।

4. इस अनुच्छेद के पैरा तीन में उल्लिखित परिस्थितियों में, जब अनुरोधकर्ता प्रशासन के अधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-प्रदेश में उपस्थित हों, तो उन्हें हर बार अपने आधिकारिक पद का प्रमाण प्रस्तुत होगा।

**अनुच्छेद - बारह**  
**सूचना की गोपनीयता**

1. इस करार के अंतर्गत प्रशासनिक सहायता की रूपरेखा के भीतर प्राप्त किसी भी सूचना अथवा आसूचना का उपयोग केवल इस करार के उद्देश्य से और सीमाशुल्क प्रशासन द्वारा ही किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जिनमें सीमाशुल्क प्रशासन ने ही स्पष्ट अनुमोदन कर दिया हो कि अन्य उद्देश्य के लिए और अन्य प्राधिकरणों द्वारा ऐसी सूचना का उपयोग किया जा सकता है।
2. इस करार के अंतर्गत प्राप्त सूचना अथवा आसूचना को गोपनीय माना जाएगा और यह प्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत इसी प्रकार की सूचना अथवा आसूचना के समान ही संरक्षण और गोपनीयता की हकदार होगी।
3. जहां इस करार के अंतर्गत वैयक्तिक आंकड़ों का आदान-प्रदान किया जाएगा, सीमाशुल्क प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि इनका उपयोग उल्लिखित उद्देश्यों और प्रार्थित प्रशासन द्वारा लगाई गई किसी शर्त के अनुसार ही किया जाए।

**अपवाद**

1. प्रार्थित संविदाकारी पक्ष द्वारा सहायता से, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से, इंकार किया जा सकता है यदि :

- (क) प्रार्थित संविदाकारी पक्ष ऐसा समझता है कि अनुरोध को पूरा करना इसकी संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था अथवा अन्य वास्तविक राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकर होगा; अथवा
- (ख) प्रार्थित संविदाकारी पक्ष यह समझता है कि अनुरोध उस संविदाकारी पक्ष के औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गोपनीयता के उल्लंघन से संबंधित है।

2. यदि अनुरोधकर्ता प्रशासन प्रार्थित प्रशासन द्वारा किए गए समान अनुरोध को पूरा करने में असमर्थ रहता है, तो अनुरोधकर्ता प्रशासन अपने अनुरोध में इस तथ्य को सूचित करेगा। ऐसे अनुरोध का अनुपालन करना प्रार्थित प्रशासन के विवकाधीन होगा।

3. प्रार्थित प्रशासन द्वारा सहायता को इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि इससे किसी चल रही जांच, मुकदमे अथवा कार्यवाही में हस्तक्षेप होगा। ऐसे मामले में प्रार्थित प्रशासन अनुरोधकर्ता प्रशासन से यह निर्धारित करने के लिए परामर्श करेगा कि क्या सहायता प्रार्थित प्रशासन के लिए अनिवार्य नियमों और शर्तों के आधार पर प्रदान की जा सकती है।

4. यदि सहायता से इंकार किया जाता है अथवा उसे स्थगित किया जाता है तो इंकार करने के अथवा स्थगन के कारण देने होंगे।

**अनुच्छेद - चौदह**  
**लागत**

1. सीमाशुल्क प्रशासन इस करार के क्रियान्वयन में आई लागत की प्रतिपूर्ति के लिए सभी दावों को छोड़ देगा, सिवाय विशेषज्ञों और गवाहों को भुगतान किए गए व्ययों और भर्तों तथा

अनुवादकों और भाषान्तरकारों की लागत के । सरकारी कर्मचारियों पर हुए व्यय का वहन अनुरोधकर्ता प्रशासन द्वारा किया जाएगा ।

2. यदि अनुरोध को क्रियान्वित करने के लिए अधिक और असाधारण प्रकार के खर्च की आवश्यकता है अथवा होगी, तो संविदाकारी पक्ष उन नियम और शर्तों को तय करने के लिए परामर्श करेंगे जिनके तहत अनुरोध का क्रियान्वयन किया जाएगा और जिस तरीके से लागत का वहन किया जाएगा ।

#### **अनुच्छेद - पंद्रह करार का क्रियान्वयन**

1. सीमाशुल्क प्रशासन ऐसे उपाय करेंगे ताकि जांच के लिए अथवा सीमाशुल्क अपराधों की रोकथाम के लिए उत्तरदायी उनके अधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे संपर्क रख सकें ।
2. सीमा शुल्क प्रशासन इस करार के क्रियान्वयन को सुसाध्य बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाओं को तय करेंगे ।
3. सीमाशुल्क प्रशासन इस करार के निर्वचन अथवा लागू करने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं अथवा संदेहों को परस्पर सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे ।
4. निर्वचन का कोई मामला जिसका कोई हल नहीं हो पाएगा उसे राजनयिक माध्यमों से हल किया जाएगा ।

#### **अनुच्छेद - सोलह प्रादेशिक प्रयुक्ति**

यह करार दोनों संविदाकारी पक्षों के सीमाशुल्क भू-प्रदेशों पर लागू होगा जैसा कि उनके राष्ट्रीय वैध और प्रशासनिक प्रावधानों में परिभाषित हो ।

#### **अनुच्छेद - सत्रह प्रवर्तन और निरस्तीकरण**

1. यह करार दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा राजनयिक माध्यमों से, एक-दूसरे को लिखित रूप में यह अधिसूचित किए जाने, कि इस करार के प्रवर्तन के लिए आवश्यक घरेलू वैध अनिवार्यताएं पूरी कर ली गई हैं, के तीसवें दिन लागू होगा ।
2. यह करार परस्पर सहमति से संशोधित किया जा सकता है ।
3. यह करार पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा और उसके बाद भी पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष इस करार को समाप्त करने की अपनी मंशा की अधिसूचना लिखित रूप में दूसरे संविदाकारी पक्ष को छह माह पूर्व न दे दे ।

इसके साक्ष्य स्वरूप अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने प्राधिकृत होकर इस करार पर हस्ताक्षर किए ।

.....**सिडोल**..... में .....**2006**..... के **फरवरी**.....माह के .....**7**.....  
दिन कोरियाई, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल पाठों में संपन्न, सभी पाठ समान रूप से  
प्रामाणित हैं। निर्वचन में भिन्नता होने पर अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

कोरिया गणराज्य की सरकार  
की ओर से

한기문

एन.ए.ए.ए.

भारत गणराज्य की सरकार  
की ओर से



[ KOREAN TEXT – TEXTE CORÉEN ]

대한민국 정부와 인도공화국 정부 간의  
세관분야에서의 협력 및 상호지원에 관한 협정

대한민국 정부와 인도공화국 정부(이하 “채약당사국”이라 한다)는,

관세법 위반범죄가 자국의 경제적, 재정적, 사회적, 문화적 및 상업적 이익에 유해함을 고려하고,

수출입 단계에서 징수하는 관세와 기타 세제의 정확한 산정과 금지, 제한 및 통제 조치의 적절한 집행의 확보가 중요함을 고려하며,

자국 관세법의 적용과 집행에 관련되는 사안에 있어서 국제협력의 필요함을 인식하고,

관련 국내법 및 국제법에 기초한 양국 세관당국간의 긴밀한 협력에 의하여 관세범죄의 예방이 더욱 효과적으로 이루어질 수 있다고 확신하며,

관세협력사회의 관련 문서들, 특히 1953년 12월 5일의 상호행정지원에 관한 권고를 고려하고,

특정 물품에 대한 금지, 제한 및 특별 통제조치를 내용으로 하는, 채약당사국이 가입하고 있는 국제협정을 또한 고려하여,

다음과 같이 합의하였다.

## 제 1 조 정 의

이 협정의 목적을 위하여,

1. “세관당국”이라 함은 대한민국 정부에서는 관세청을, 인도공화국 정부에서는 재무부 세입청의 관세소비세증양위원회를 말한다.
2. “관세법”이라 함은 물품의 수입 및 수출과 관련하여 그 운용과 집행이 세관에 특별히 부과되어 있는 법률과 규정을 말한다.
3. “관세범죄”라 함은 관세법 위반행위 또는 그 미수행위를 말한다.
4. “사람”이라 함은 자연인 또는 법인을 말한다.



5. “개인자료”라 함은 신원이 확인되거나 확인될 수 있는 자연인과 관련된 자료를 말한다.
6. “정보”라 함은 자료·서류·보고서, 인증 또는 공인된 이들의 사본 또는 기타 의사교환수단을 말한다.
7. “조사정보”라 함은 관세범죄와 관련된 단서를 제공하기 위하여 가공 또는 분석된 정보를 말한다.
8. “요청당국”이라 함은 지원을 요청하는 세관당국을 말한다.
9. “피요청당국”이라 함은 지원을 요청받는 세관당국을 말한다.

## 제 2 조 협정의 범위

1. 양 체약당사국은 관세법의 적절한 적용과 관세범죄의 예방, 수사 및 진압을 위하여 이 협정에 규정된 조건에 따라 각자의 세관당국을 통하여 행정적인 지원을 상호 제공한다.

2. 각 체약당사국에 의한 이 협정상의 모든 지원은 각자의 국내법과 행정규정에 따라, 각국 세관당국의 권한과 가용자원의 범위 내에서 이행된다.

## 제 3 조 일반 지원

1. 각 체약당사국의 세관당국은 자발적으로 또는 요청에 응하여 이 협정의 규정에 따라 요청세관당국이 다음 각 목의 업무를 수행하는데 도움이 되는, 피요청세관당국의 영토로 수입되거나 또는 피요청세관당국의 영토에서 수출된 물품에 관한 가용정보를 상호 제공한다.

가. 상기 물품의 정확한 명칭, 관세분류 및 원산지의 결정

나. 관세부과 목적을 위한 상기 물품 가액의 산정

다. 물품의 신고를 위하여 생산되어 요청당국에 제출된 공식서류의 진위 여부 결정

2. 요청이 있는 경우, 피요청당국은 당해 체약당사국에 있어 적용 가능하고 관세범죄에 관한 조사와 관련된 관세법과 절차에 관한 모든 정보를 제공한다.

3. 각 체약당사국의 세관당국은 요청에 의하거나 자발적으로 다음과 관련된 가용정보를 교환한다.

가. 그 효과가 입증된 새로운 관세법 집행 기법

나. 관세범죄의 새로운 동향, 수단 또는 방법

#### 제 4 조 지원의 특별 사례

요청이 있는 경우 피요청당국은 특히 다음 정보를 요청당국에 제공한다.

가. 요청체약당사국 정부의 관세영역으로 수입된 물품이 피요청체약당사국의 관세영역에서 합법적으로 수출되었는지 여부

나. 요청체약당사국 정부의 관세영역에서 수출된 물품이 피요청체약당사국의 관세영역으로 합법적으로 수입되었는지 여부와 그 물품에 적용된 세관절차가 있을 경우 그 세관절차

#### 제 5 조 정보와 조사정보의 제공

1. 각 체약당사국 정부의 세관당국은 요청에 의하거나 자발적으로 관세범죄를 구성하거나 구성할 것으로 보이는 성사되거나 계획된 거래에 관한 정보와 수집정보를 상호 제공한다.

2. 일방체약당사국 정부의 경제, 공중보건, 공공안전 또는 기타 중요한 이익에 실질적 손해를 수반할 수 있는 중대한 사안에 있어서 타방체약당사국 정부의 세관당국은 정보와 수집정보를 가능한 경우 언제나 자발적으로 제공한다.

#### 제 6 조 특별 감시

요청이 있는 경우 피요청당국은 다음 각 목에 관한 정보와 수집정보를 제공하고 특별 감시를 지속한다.

- 가. 관세범죄를 범하였거나 범할 혐의가 있는 것으로 요청당국에 알려진 사람으로서 특히 피요청체약당사국의 관세영역을 출입하는 사람
- 나. 요청체약당사국의 관세영역으로 불법 수송된 혐의가 있는 것으로 요청당국이 통보한 운송 또는 보관 중인 물품
- 다. 요청당국이 일방체약당사국의 관세영역에서 관세범죄를 범하는데 사용된 혐의를 두고 있는 운송수단
- 라. 요청당국이 일방체약당사국 정부의 관세영역에서 관세범죄를 범하는데 사용된 혐의를 두고 있는 장소

### 제 7 조 기술 협력

체약당사국의 세관당국은 다음 각 목을 포함하는 세관분야에서 상호 협력한다.

- 가. 세관 기법에 대한 상호 이해를 증진하기 위하여 상호 유익한 세관 공무원 또는 전문가의 교류
- 나. 단속 및 탐지장비 사용 분야의 정보 및 경험의 교환
- 다. 관세법규와 세관절차에 관련된 전문적, 과학적 및 기술적 자료의 교환
- 라. 이러한 활동을 개선하기 위한 목적으로 기술협력과 관련하여 제3국과 함께 수행한 활동에 관한 정보의 교환
- 마. 각국 세관절차의 간소화와 조화 분야의 협력을 위한 정보의 교환

### 제 8 조 서류와 문서

1. 원본 정보는 인증 또는 공인된 사본만으로 충분하지 않은 경우에 한하여 요청될 수 있으며 가능한 조속히 반환되어야 한다. 이와 관련된 피요청당국 또는 제3자의 권리는 영향을 받지 않는다.

2. 이 협정에 따라 교환되는 정보와 수집정보에는 그것을 해석하고 활용하기 위한 모든 관련정보가 첨부된다.

## 제 9 조 전문가 및 증인

일방체약당사국의 세관당국은 요청이 있는 경우 국내법에 따라 소속 공무원을 관세범죄에 관한 전문가 또는 증인 자격으로 타방체약당사국의 법정에 출석하도록 허가할 수 있다.

## 제 10 조 요청의 전달

1. 이 협정에 따른 지원은 각 체약당사국의 세관당국 사이에 직접 교환된다.
2. 요청체약당사국이 요구한 지원이 형사절차와 관련된 증거의 제공을 포함하는 경우 이 조 제1항의 규정에도 불구하고, 그 지원은 피요청체약당사국의 국내법 및/또는 양 체약당사국 간에 형사사법공조조약이 체결된 경우 그 규정에 따라 제공된다.
3. 이 협정에 따른 지원은 서면으로 요청되어야 하며, 유용하다고 판단되는 모든 서류가 첨부되어야 한다. 상황에 따라 필요한 경우 구두로 요청될 수 있다. 그러한 요청은 즉시 서면으로 확인되어야 한다.
4. 이 조 제 3항에 따른 요청은 다음 각 목의 사항을 포함하여야 한다.
  - 가. 요청하는 당국
  - 나. 요청의 대상 및 사유
  - 다. 사건의 개요, 법적 요소 및 절차의 성격
  - 라. 파악되는 경우 당해절차와 관련된 당사자의 성명 및 주소
5. 이 협정에서 언급된 정보와 조사정보는 양 세관당국이 이를 위하여 특별히 지정한 공무원에게 전달된다. 지정된 공무원의 명단은 이 협정 제15조 제1항에 따라 타방체약당사국의 세관당국에게 제공된다.

## 제 11 조 요청의 이행

1. 피요청당국이 요청받은 정보를 갖고 있지 않은 경우 피요청당국은 이 협정 제10조 제2항의 국내법규와 행정규정에 따라
  - 가. 그 정보를 확보하기 위한 조사를 실시하거나,
  - 나. 적절한 관련기관에 그 요청을 즉시 송부하거나,
  - 다. 어떤 기관이 관련되는지 통보한다.
  
2. 이 조 제 1항에 따른 모든 조사는 관세범죄와 관련된 정보를 얻을 수 있는 사람 및 증인과 전문가의 진술을 포함할 수 있다.
  
3. 서면요청에 의하여 요청당국이 특별히 지정한 공무원은 피요청당국으로부터 권한을 위임받아 피요청당국이 부과한 조건에 따라 관세범죄를 수사할 목적으로 다음 각 목의 행위를 할 수 있다.
  - 가. 피요청당국의 사무실에서 관세범죄에 관한 정보를 습득하기 위한 문서, 대장 및 기타 관련 자료의 열람
  - 나. 관세범죄와 관련된 문서, 대장 및 기타 자료의 복사
  - 다. 피요청체약당사국의 관세영역에서 피요청당국이 수행하는 요청당국과 관련된 조사에 출석
  
4. 요청당국의 공무원이 이 조 제 3항에 규정된 상황에서 타방 체약당사국의 영역에 출석하는 때에는 항상 자신의 공적 지위를 증명할 수 있어야 한다.

## 제 12 조 정보의 비밀

1. 이 협정에 따른 행정지원의 틀 안에서 획득된 정보 또는 수집정보는 그러한 정보를 제공하는 세관당국이 여타 목적을 위하여 또는 다른 기관에 의하여 사용되는 것을 명백하게 승인한 경우를 제외하고는 오로지 이 협정의 목적을 위하여 사용되어야 하며, 세관당국에 의하여 사용되어야 한다.

2. 이 협정에 따라 획득된 정보와 조사정보는 비밀로 취급되어야 하며, 적어도 이를 획득한 체약당사국 정부의 국내법에 따라 동종의 정보나 조사정보에 적용되는 것과 같은 수준으로 보호되고 비밀이 보장되어야 한다.

3. 이 협정에 따라 인적 자료가 교환되는 경우, 세관당국은 지정된 목적과 피요청당국이 부과한 조건에 따라 이를 사용할 것을 보장하여야 한다.

### 제 13 조 면 제

1. 피요청체약당사국은 다음 각 목의 경우 지원을 전부 또는 일부 거절할 수 있다.

가. 피요청체약당사국이 당해 요청의 이행이 자국의 주권, 안보, 공공질서 또는 기타 중대한 국가이익을 해칠 수 있다고 판단하는 경우

나. 피요청체약당사국이 당해 요청이 당해 체약당사국 정부 영역안에서의 산업상, 상업상 또는 직업상 비밀의 침해와 관련이 있다고 판단하는 경우

2. 요청당국이 피요청당국이 제기하는 유사한 요청에 응할 수 없는 경우 요청당국은 당해 요청에 그 사실을 적시하여야 하며, 이러한 요청에 응하는 것은 피요청당국의 재량이다.

3. 피요청당국은 진행 중인 수사, 기소 또는 사법절차를 방해한다는 이유로 지원을 연기할 수 있다. 이 경우 피요청당국은 피요청당국이 요구할 조건에 따라 지원이 제공될 수 있는지 여부를 결정하기 위하여 요청당국과 협의한다.

4. 지원을 거부 또는 연기하는 경우, 그 거부 또는 연기 사유를 제시하여야 한다.

**제 14 조**  
**비 용**

1. 양 세관당국은 이 협정의 이행으로 발생하는 비용에 대한 모든 상환청구권을 포기하여야 한다. 다만 정부에 고용된 자가 아닌 전문가와 증인에게 지급된 비용과 수당 및 통역사와 번역사에 대한 비용은 요청당국이 부담하여야 한다.

2. 요청을 이행하는데 상당히 많고 특별한 성격의 비용이 요구되거나 장래 요구될 경우, 당해 계약당사국은 동 비용의 부담방법과 동 요청이 이행될 조건을 결정하기 위하여 협의하여야 한다.

**제 15 조**  
**협정의 이행**

1. 양 세관당국은 관세범죄의 수사 또는 단속을 담당하는 소속공무원들이 상호 직접적인 관계를 유지할 수 있도록 조치를 취하여야 한다.

2. 양 세관당국은 이 협정의 이행을 원활히 하기 위한 세부사항을 결정할 수 있다.

3. 양 세관당국은 이 협정을 해석 또는 적용하는 데에서 발생하는 모든 문제나 의문사항을 상호 합의에 따라 해결하기 위하여 노력하여야 한다.

4. 해결방안을 찾을 수 없는 해석상의 문제는 외교적 경로를 통해 해결되어야 한다.

**제 16 조**  
**적용영역**

이 협정은 각국의 국내법규와 행정규정에 명시된 양 계약당사국의 관세영역에 적용되어야 한다.

제 17 조  
발효 및 종료

1. 이 협정은 체결당사국이 이 협정의 발효를 위하여 필요한 모든 국내법적 요건이 충족되었다는 것을 외교경로를 통하여 서면으로 상호 통보한 날부터 30일 후에 발효된다.



2. 이 협정은 상호 합의에 의하여 개정될 수 있다.

3. 이 협정은 5년간 유효하며, 일방체약당사국이 타방체약당사국에게 협정의 종료의사를 6개월 전에 서면으로 통보하지 않는 한 이후 5년간 유효하다.

이상의 증거로서 아래 서명자는 정당하게 권한을 위임받아 이 협정에 서명하였다.

2006년 2월 7 일 서울에서 동등하게 정본인 한국어, 힌두어 및 영어로 각 2부씩 작성하였다. 해석에 대한 상위가 있는 경우 영어본이 우선한다.

대한민국 정부를 대표하여



인도공화국 정부를 대표하여